

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/3795 /

जबलपुर, दिनांक 17 / 05 / 2024

श्रीमती जूली सिंह, S.P.A., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को मध्यप्रदेश वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के अधिसूचना दिनांक 22.08.2015 के नियम 38 ग संतान पालन अवकाश के कंडिका 1 से 7 के अनुसार दिनांक 22.01.2024 से 05.03.2024 तक 44 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही /-
(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक A/3796 /

जबलपुर, दिनांक 17 / 05 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती जूली सिंह, S.P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू.एस. दुबे)

२ ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.